



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2018/पौष 15, 1939

No. 70]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2018

का.आ. 88(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

| क्र. सं. | नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या | राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण |
|----------|------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 452 | 703बी | पंजाब राज्य में मोगा के निकट रारा-703 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर हरिके को जोड़ने वाला और खालरा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग। |

[फा. सं. एनएच-14012/3/2017-पीएंडएम (पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव(एलए)

पाद टिप्पणी: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसआरओ, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसमें पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 3807(अ), दिनांकित 05.12.2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2018

S.O. 88(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

| Serial No. | New National Highway No. | Description of National Highways |
|------------|--------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 452 | 703B | The highway starting from its junction with NH-703 near Moga connecting Harike and terminating at Khalra in the state of Punjab. |

[F. No. NH-14012/3/2017-P&M (pt)]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.(LA)

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the scheduled thereto was published in the Gazette of India, vide notification number S.R.O. dated 4th April, 1957 and was substituted vide notifications number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O.3807(E) dated 05.12.2017.